FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत ---------उपखण्ड अधिकारी--------- मुकाम ---------चिड़ावा-----------

-----------------जयसिंह -------------बनाम -------- धर्मवीर वगैo--------------

किस्म मुकदमात-----------प्रा0 पत्र 212-------------नं---26------सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
23.02.22	आज यह प्रार्थना पत्र बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जावें। तलबी अप्रार्थीगण हेतु प्रस्तुत तलवाने पर जरिये नोटिस नकल प्रार्थना पत्र भेजकर की जावें। वकील प्रार्थी। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला प्रतीत होता है। सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थी के हक में जाते है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि ख0 नं0 94 रकबा 0.85 है0 मौजा ग्राम श्योपुरा के प्रार्थी के हक व हिस्से की भूमि में दखल अंदाजी नही करे व राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें व निर्माण नहीं करें। मिसल वास्ते तलबी हेतु दिनांक 21.03.2022 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी,चिड़ावा,	
21.3.22	पत्रावली पेश हुई वकुलाम फरिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य से व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 2-5-22 को पेश हो।	
08.04.22	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी द्वारा आपसी राजीनामा होने के कारण प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा नोटप्रेस कर इकरारनामा किये गये। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र नोटप्रेस करने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज [illegible] फैसला शुमार [illegible] जाकर दाखिल [illegible] उप खण्ड अधिकारी चिड़ावा जिला झुन्झुनूं (राज.)	जयसिंह प्रार्थी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2022.09.30 13:25:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner